



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

F.No . NCST/SER-795/MH/55/2023-RO-BH

21.01.2026

महानिदेशक
कर्मचारी राज्य बीमा निगम,
पंचदीप भवन,
कॉमरेड इंद्रजीत गुप्त (सीआईजी) मार्ग
नई दिल्ली -110002 (दिल्ली)

Sub: पदोन्नति में आरक्षित सीटों पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्र उम्मीदवारों को पदोन्नति चयन सूची में वंचित रखने के संबंध में श्री रघुवीर कुमार मीना, प्रवर श्रेणी लिपिक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुंबई (महाराष्ट्र) से प्राप्त अभ्यावेदन /

Mam/Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of the minutes of the sitting held under the Chairmanship of Shri Jathothu Hussain, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) on 05.01.2026 at NCST, New Delhi on the above mentioned subject.

It is requested that the action taken/ to be taken in the matter may be submitted to NCST within stipulated time from receipt of the letter, for placing it before Hon'ble Commission.

Yours faithfully,


(Dr. P. Kalyan Reddy)
Director
Ph No. 011-24641640

Copy to:-

1. श्री रघुवीर कुमार मीना
प्रवर श्रेणी लिपिक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुंबई (महाराष्ट्र)
Mumbai Suburban, Maharashtra
Mob No- 7891476637
2. PS to Hon'ble Member (Shri Jathothu Hussain), NCST.
- ✓ 3. NIC, NCST for uploading on the website of the Commission.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

श्री जाटोतु हुसेन, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में लोक नायक भवन, खान मार्केट, नयी दिल्ली में आयोग की बैठक के कार्यवृत्त-श्री रघुवीर कुमार मीना, प्रवर श्रेणी लिपिक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुंबई (महाराष्ट्र) पदोन्नति में आरक्षित सीटों पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्र उम्मीदवारों की पदोन्नति चयन सूची से वंचित रखने के संबंध में।

(NCST/SER-795/MH/55/2023-RO-BH)

बैठक की तिथि : 5.1.2026, 6:40 बजे

प्रतिभागियों की सूची - संलग्नक

श्री रघुवीर कुमार मीना, प्रवर श्रेणी लिपिक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुंबई ने अपने अभ्यावेदन दिनांक 13-02-2023 में बताया है कि राज्य बीमा निगम क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई के उच्च श्रेणी लिपिक से सहायक संवर्ग में पदोन्नति के आदेश में रिजर्वेशन रोस्टर का पालन न करते हुये आरक्षित 12 पदों की जगह सिर्फ 8 पदों पर ही पदोन्नति प्रदान की गई।

2. उपरोक्त प्रकरण में दिनांक 18.1.2024 को सुनवाई आयोजित की गई थी जिसमें निम्नलिखित संस्तुतियाँ की गई तथा सुनवाई के कार्यवृत्त दिनांक 29.1.2024 को संबंधित प्राधिकारी एवं आवेदक को भेजे गए।

- सहायक पद के रोस्टर की समीक्षा करने के बाद, आवेदक की पदोन्नति हेतु प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

- अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण हेतु Internal Grievance Committee (आंतरिक शिकायत समिति) की स्थापना की जाए, जैसा कि NCST ने August 2021 में सभी मंत्रालयों/ विभागों को उनके अधीनस्थ निकायों में स्थापित करने को कहा है।

3. ईएसआईसी ने अपने पत्र दिनांक 11.11.2024 द्वारा कार्यवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे आवेदक को सूचनार्थ, दिनांक 11.4.2025 को भेजा गया। रिपोर्ट में ईएसआईसी ने बताया कि डीपीसी की समीक्षा बैठक 9.10.2024 को आयोजित की गई जिसमें वर्ष 2023 की एक वेकेंसी थी, के लिए आवेदक का नाम समिति ने स्वीकृत नहीं किया। आवेदक ने अपने पत्र दिनांक 29.12.2025 के माध्यम से बताया कि विभाग ने पदोन्नति के एक वर्ष बाद पदोन्नति निरस्त कर दी तथा एक वर्ष का सहायक पद का वेतन का निर्धारण नहीं किया।

4. अतः प्रकरण में दिनांक 5.1.2026 को सुनवाई हेतु, दिनांक 26.12.2025 को संबंधितों को सूचित किया गया।

5. सिटिंग दिनांक 5.1.2026 में महानिदेशक, ईएसआईसी के स्थान पर संयुक्त निदेशक एवं सहायक निदेशक, ईएसआईसी एवं आवेदक उपस्थित हुये। आवेदक ने बताया कि विभाग ने पदोन्नति के एक वर्ष बाद, पदोन्नति निरस्त कर दी तथा एक वर्ष का सहायक पद का वेतन का निर्धारण नहीं किया। अतः न्याय करने का कष्ट करें। ईएसआईसी के अधिकारियों ने बताया कि मामला क्षेत्रीय कार्यालय, महाराष्ट्र का है। अतः प्रकरण में की गई कार्यवाई को बताने में असमर्थता प्रकट की।

6. दोनों पक्षों को सुनने के बाद, प्रकरण में निम्नलिखित संस्तुतियाँ की तथा कार्यवृत्त प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन के अंदर की गई/की जाने वाली कार्यवाई की सूचना आयोग को उपलब्ध करने का कष्ट करें।

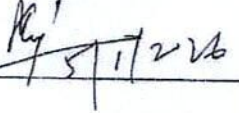
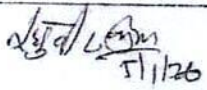
- ईएसआईसी के मुख्यालय के प्रबंधन द्वारा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को, रोस्टर online करने हेतु दिशा- निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

- ईएसआईसी के क्षेत्रीय कार्यालय, महाराष्ट्र उपरोक्त विषय में विस्तृत सूचना उपलब्ध कराये।

- आवेदक को TA एवं special leave उसके पद एवं नियम के अनुसार प्रदान एवं स्वीकृत करें।

(जाटोतु हुसेन)
जाटोतु हुसेन / Jathotu Hussain
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

List of participants of the sitting held on 5.1.2026 at 6.40... under the chairmanship of Shri Jatothu Hussain, Hon'ble Member, NCST at New Delhi.

Sr. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	<u>National Commission for Scheduled Tribes</u>		
1.	Dr. P.Kalyan Reddy Director		
2.	NCST Officials		
II	<u>ESIC</u>		
Sr. No.	Name and Designation	Phone No.	Signature
01	Arindam Bhattacharya Director	7205633669	
02	Mr. S. K. Singh Asst. Director	9718206669	 5/1/2026
III	<u>Petitioner</u>		
01	Raghavveer K. Meena	7891476637	 5/1/26